

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा - 2026 परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र		
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 06/04/2026		ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 20/04/2026
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 06/04/2026		आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 25/04/2026
संभावित परीक्षा दिनांक व दिन		15 मई 2026 से प्रारंभ
मण्डल का परीक्षा शुल्क		
सीधी भरती के पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु 500/-
	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ई/.एस.डब्ल्यू. दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये	रु. 250/-
	केवल सीधी भरती - बैकलॉग पदों हेतु	कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।		

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

संभावित परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
15 मई 2026 से प्रारंभ	प्रथम	प्रातः 08:00 से 09:00 बजे तक	प्रातः 09:50 से 10:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोप. 01:00 से 02:00 बजे तक	दोप. 02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोप. 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यू.आई.डी.ए.आई.(UDA) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल वॉच एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- सभी अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी। आवेदक यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि नियमानुसार आवेदित पद हेतु निर्धारित जन्मतिथि, आयु सीमा, शैक्षणिक व अन्य समस्त अर्हताएँ धारित करता हो। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई किसी भी जानकारी का मिलान उसके मूल दस्तावेज/अभिलेख से नहीं होने अथवा त्रुटिपूर्ण होने अथवा नियमानुसार नहीं होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी।
- मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-2 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मण्डल को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को में पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।



मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड न.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन न. 0 755-2578801-2 Fax: ++91-755-2550498 Web :- www.esb.mp.gov.in ई-मेल : E-Complain Id : Complain.esb@mp.gov.in

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत

नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा - 2026

आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2026 विभागीय नियम	03-16
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिकाएँ	17-24
3.	3	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	25-38
4.	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	39-47
5.	प्रारूप 1-	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	48
6.	प्रारूप 2-	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे :- बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र	49

अध्याय – 1

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा - 2026 हेतु विभागीय नियम

मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 9/नर्सिंग/पीएसई/2026/106 भोपाल, दिनांक 16.03.2026, पत्र क्र. 9/नर्सिंग/पीएसई/2026/108 भोपाल, दिनांक 16.03.2026, पत्र क्र. 9/नर्सिंग/पीएसई/2026/117 भोपाल, दिनांक 18.03.2026 एवं पत्र क्र. 9/नर्सिंग/पीएसई/2026/क्यू-1, भोपाल, दिनांक 31.03.2026 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना प्रावधानित है। इन पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से कराए जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं :-

1. सामान्य :

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक पुरुष/महिला (यथा लागू) उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं (अध्याय 2 अनुसार)। विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात् कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) “न्यूनतम अर्ह अंक” से अभिप्रेत है संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा - 2026 में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) “सरकार” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ङ.) “विभाग” से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग;
- (च) “संचालनालय” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य का लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय;
- (छ) “स्वशासी संस्था” से अभिप्रेत है, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय।
- (ज) “शासकीय संस्था” से अभिप्रेत है, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय स्वास्थ्य संस्थाएँ।
- (झ) “नर्सिंग महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय।
- (त्र) “संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा-2026” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
- (ट) “सफल अभ्यर्थियों की सूची” से अभिप्रेत है संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा - 2026 में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ठ) “अन्य पिछड़ा वर्ग से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ड.) “शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति” से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;

- (ग) “पद” से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर तथा सिस्टर ट्यूटर के नियमित पद;
- (त) “भरती वर्ष” से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (थ) “सेवा” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अलिपिकीय तृतीय श्रेणी सेवा;
- (द) “अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ध) “अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (न) “राज्य” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (प) “मण्डल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल ;
- (फ) “उभयलिंगी” से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक सी-1/3/2022/02-3भोपाल दिनांक के अनुसार परिभाषित उभयलिंगी होने का प्रमाण पत्र जैसा 2023 फरवरी 24 ख किया खित है यदि प्रमाण पत्र में पुरुष का उल्लेखिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेख जिला दण्डा गया हैतब पुरुष उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे और यदि महिला का उल्लेख किया गया है तब महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

3. लागू होना :-

- (1) ये नियम मध्यप्रदेश राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में लागू होंगे।
- (2) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. अर्हकारी अंक -

- (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्ह अंकों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई सूची में से ‘मेरिट’ के आधार पर किया जावेगा।
- (2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -
 - (क) विभाग रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है।
 - (ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग को भेज नहीं दिया जाता है;
 - (ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और
 - (घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

5. विस्तार -

राज्य का लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेगा जिसमें यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

6. सेवा -

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी सेवा भरती नियम (अलिपिकीय) के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के नियमित पदों के लिए नीचे दी गई तालिका अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी में दिए, अर्थात्

सेवा का नाम	पदनाम	श्रेणी
मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा	नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर	तृतीय श्रेणी

7. परीक्षा का आयोजन -

ऊपर कण्डिका 6 में उल्लिखित सेवा के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर पद के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर हेतु भर्ती परीक्षा - 2026 योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् -

ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिये तालिका

स. क्र.	परीक्षा का नाम	प्रश्न पत्र की संख्या	कुल अंक	पाठ्यक्रम का विवरण	अंक
1	नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के सीधी भरती	1	100	(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरूचि (ब) संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न	25 75

8. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव :-

8.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। अर्थात् -

(क) शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं तथा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग ऑफिसर के सीधी भरती हेतु -
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान (पी.सी.बी.) विषय के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. उम्मीदवार मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन कौंसिल/भारतीय उपचर्या परिषद से मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से 4 वर्षीय बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण अथवा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण उपरान्त दो वर्षीय पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार (SC, ST एवं OBC) को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।
3. अभ्यर्थी मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

(ख) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सिस्टर ट्यूटर के सीधी भरती हेतु -
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान (PCB) विषय के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12 वी कक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण अथवा पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए।

Experience : B.Sc. (Nursing) /P.B.B.Sc. (Nursing) with 1 year experience.

3. अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है ।

8.1(1) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8.1(2) नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों पर सफलता पूर्वक पात्र होने के पश्चात् लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि तक कार्य की सहमति के लिये राशि रुपये 05.00 लाख का अनुबंध पत्र अध्ययन के लिये प्रस्थान करने के पूर्व निष्पादित कर संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से अनुबंध की सत्यापित छायाप्रति राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगे।

8.2 यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

8.3 आयु सीमा -

(अ) उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर तथा सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों पर सीमित सीधी भरती हेतु अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु- सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/ स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात् 1 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएगी।

(ब) म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 73/104/2022/आ.प्र./2021, दिनांक 02.02.2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है ।

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी ।

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए इस परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं नियम क्रमांक 13 में दिये गये वर्गों को छोड़कर) से अधिक नहीं होगी।

8.4 (1) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2026 से निर्धारित की जावेगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एवं पत्र क्र./सी. 3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016 में संशोधित आदेश क्र. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 एवं लोक स्वास्थ्य एवं के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है:-

क्र.	भरती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने वाले पदों के लिए	18 से 40

2	मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/ निगम /मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/ निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)
---	---	--

नोट :- (i) सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिये आवश्यक वैध प्रमाण पत्र म.प्र.शासन से मान्य/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है ।

8.5 (2) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट :-

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पुराना नाम आदिम जाति हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी- 3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं नियम कमांक 13 में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर) से अधिक नहीं होगी।

8.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द “छंटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तिसे है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालयमें अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भरती किया गया हो, और
 - नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

- (ख) भरती संबंधी शतेरं पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
 - (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
 - (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
 - (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
 - (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
 - (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी, जिनके पास श्रम विभाग के जापन क्रं. 3345-4005-सोलह तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा. छ. सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप : (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“आयु सीमा के संबंध में विशेष उपबंध राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिन्हित अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

9. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना -

(1) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र ऑनलाईन पद्धति से भरेंगे, किसी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और पद के लिये भी अपना अधिमान चिन्हित कर सकेगा ।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित नियम 4 (ख) आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबन्ध अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया,सहरिया आदिम जनजाति/ जिला मण्डला,डिण्डोरी , शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाडा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का हैऔर उस , पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है तो उसे भरती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा इस नियम के तहत ऐसे अभ्यर्थी |जो उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करते हों, वे संबंधित विभाग (संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, जे.पी. अस्पताल चिकित्सालय परिसर, न्यू भवन, भोपाल) में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक ऑफलाईन आवेदन कर सकेंगे। ऐसे पात्र आवेदकों के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही/प्रक्रिया संचालनालय द्वारा संपादित की जायेगी। उक्तानुसार चयन किये गये उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विज्ञापित पदों में समायोजित की जावेगी।

10. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना

- (1) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त परसेंटाईल के आधार पर आवेदित पद अनुसार प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची जारी करेगा ।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (3) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित (ओपन) पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्ग वार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (6) समान परसेंटाईल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता पहले आनुपातिक अंक, फिर आयु (जन्मतिथि) के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF पर समान परसेंटाईल/अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

11. नियुक्ति के लिए मण्डल की अनुशंसाएँ -

- (1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 11 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।

- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा। नियमानुसार मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।
- (3) पात्र अभ्यर्थी को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।

12. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि -

- (1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भरती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।
- (2) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मण्डल की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत मण्डल के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

13. शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता -

1. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022, सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितम्बर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces Personnel- Exservicemen & other rank) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	सी-2

2. कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।
3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/ 2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।
4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि -

- 4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के पारस्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।
- 4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।
- 4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

14. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया-

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों/ अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगा।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करना लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का दायित्व होगा। नियमानुसार मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।
- (3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र।
- (4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्ल्यू. एस. का प्रमाण पत्र।
- (5) अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज विभाग की मांग अनुसार।

15. आरक्षण -

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

सम्पूर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की Website <http://gad.mp.gov.in> को देखें।

(2) क्षैतिज आरक्षण -

- (क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 304 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

" किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भरती के प्रक्रम पर समस्त पदों (वन विभाग को छोड़कर) का पैंतीस (35) प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट-वाइज) होगा।"

- (ख) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 8-2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 04.01.2024 एवं क्र. 7-19/2019/आ.प्र./एक दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.1 के तहत दिव्यांगजन हेतु 4 श्रेणियों में 1.5 - 1.5 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।

- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

(3) संविदा कर्मियों हेतु नियम -

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के संदर्भ में जारी आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिश निर्देश जारी किए जाते हैं, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

- 3.1 प्रत्येक विभाग के भरती सीधी भरती के नियमित पद के समकक्ष संविदा के पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भरती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो), संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- 3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
 - 3.2.1 सीधी भरती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
 - 3.2.2 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वांछित हैं, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
- 3.3 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।
- 3.4 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
- 3.5 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं।
- 3.6 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 3.7 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भरती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।
- 3.8 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी।

यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भरती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

- 3.9 संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वे पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी/कर्मचारी अंतिम रूप से चयनित अथवा उत्तीर्ण नहीं हो पाते । संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे ।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं. सी-5-2/2018/1-3 (पार्ट फाईल), दिनांक 18.10.2022 के अनुसार संविदा अधिकारी/कर्मचारी हेतु आरक्षित पदों पर होरिजेंटल आरक्षण लागू होता है । अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा ।

- 3.10 नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस. के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

- 3.11 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भरती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे । यहाँ आवश्यक हो वहाँ भरती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा ।

- (4) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भरती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

- (5) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी बोर्ड द्वारा नहीं।

(ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भरती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परीणाम जारी किया जावेगा ।

- (6) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक दिनांक 10 फरवरी 1997 अनुसार यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित (carry forward) नहीं किये जायेंगे, और ऐसे रिक्त पद को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिला से भी नहीं भरा जायेगा, ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है ।

- (7) महिला आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा। शासकीय सेवक को विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है ।

16. निरर्हता -

- (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पुत्रियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है। शासन के उक्त आदेशानुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके, जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसे अयोग्य नहीं माना जायेगा।

17. आवेदन शुल्क - आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. और दिव्यांगजन घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, ई.डब्ल्यू.एस. तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमीलेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. यात्रा भत्ता -

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा

जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

- (2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषतः आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी संबंधित अभ्यर्थी संलग्न **प्रारूप-1** में अपना बैंक खाता विवरण, परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न कर संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे।

19. परीक्षा केन्द्र - परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मण्डल के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा। प्राथमिक रूप से परीक्षा शहरों की सूची अध्याय-3 के खंड-स में दी गई है।

20. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति -

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो।

21. आवेदनों का रद्द किया जाना -

ऐसे ऑनलाइन आवेदन जो अपूर्ण हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

22. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा -

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

23. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार -

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने -

- (क) आनलाईन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हो; या
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या

- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो; या
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।
- (ट) अन्य कोई आवश्यक कारण, जो मण्डल को उचित प्रतीत होता हो ।

24. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

- (I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार
 - (क) भारत का नागरिक हो।
 - (ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है।
 - (ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भरती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र. सिविल सेवा भरती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

- (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

25. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा ।

26. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जाएगा ।

(आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
शिक्षा,
मध्यप्रदेश

अध्याय - 2

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अंतर्गत

नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों का विवरण

मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 9/नर्सिंग/पीएसई/2026/106 भोपाल, दिनांक 16.03.2026, पत्र क्र. 9/नर्सिंग/पीएसई/2026/108 भोपाल, दिनांक 16.03.2026, पत्र क्र. 9/नर्सिंग/पीएसई/2026/117 भोपाल, दिनांक 18.03.2026 एवं पत्र क्र. 9/नर्सिंग/पीएसई/2026/क्यू-1, भोपाल, दिनांक 31.03.2026 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर की पूर्ति की जाना प्रावधानित है। इन पदों की आरक्षण तालिका निम्नानुसार है:-

आरक्षण तालिका

(1) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पद

पोस्ट कोड - 01 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 1256 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)
(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	135	34	170	339	दिव्यांगजनों की कुल 75 रिक्तियों में से 19=VH, 19=EH, 19=LD & 18=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	50	13	63	126	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	80	20	101	201	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	100	25	126	251	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	135	34	170	339	
	योग	500	126	630	1256	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 1093

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	135	34	170	339	दिव्यांगजनों की कुल 75 रिक्तियों में से 19=VH, 19=EH, 19=LD & 18=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	50	13	63	126	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	80	20	101	201	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	100	25	126	251	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	70	18	88	176	
	योग	435	110	548	1093	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 163 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	65	16	82	163	निरंक
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	65	16	82	163	

(2) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा

पोस्ट कोड - 02 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 34 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)
(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	8	0	8	16	दिव्यांगजनों की कुल 16 रिक्तियों में से 04=VH, 04=EH, 04=LD & 04=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	3	0	2	5	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	0	0	0	0	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	1	0	0	1	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	6	0	6	12	
	योग	18	0	16	34	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 28

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	8	0	8	16	दिव्यांगजनों की कुल 16 रिक्तियों में से 04=VH, 04=EH, 04=LD & 04=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	3	0	2	5	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	0	0	0	0	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	1	0	0	1	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	3	0	3	06	
	योग	15	0	13	28	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 06 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	3	0	3	06	निरंक
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	3	0	3	06	

(3) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर

पोस्ट कोड - 03 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 273 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	17	0	16	33	दिव्यांगजनों की कुल 64 रिक्तियों में से 16=VH, 16=EH, 16=LD & 16=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	15	0	15	30	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	22	0	21	43	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	41	0	40	81	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	43	0	43	86	
	योग	138	0	135	273	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 232

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	17	0	16	33	दिव्यांगजनों की कुल 64 रिक्तियों में से 16=VH, 16=EH, 16=LD & 16=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	15	0	15	30	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	22	0	21	43	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	41	0	40	81	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	23	0	22	45	
	योग	118	0	114	232	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 41 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	20	0	21	41	निरंक
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	20	0	21	41	

(4) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी

पोस्ट कोड - 04 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 34 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	8	0	8	16	दिव्यांगजनों की कुल 17 रिक्तियों में से 04=VH, 04=EH, 05=LD & 04=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	0	0	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	2	0	2	4	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	4	0	4	8	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	3	0	3	6	
	योग	17	0	17	34	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 31

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	8	0	8	16	दिव्यांगजनों की कुल 17 रिक्तियों में से 04=VH, 04=EH, 05=LD & 04=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	0	0	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	2	0	2	4	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	4	0	4	8	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	0	1	3	
	योग	16	0	15	31	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 03 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	1	0	2	3	निरंक
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	1	0	2	3	

(5) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खंडवा

पोस्ट कोड - 05 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 126 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	13	0	13	26	दिव्यांगजनों की कुल 14 रिक्तियों में से 04=VH, 03=EH, 04=LD & 03=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	9	0	9	18	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	11	0	11	22	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	0	14	28	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	16	0	16	32	
	योग	63	0	63	126	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 111

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	13	0	13	26	दिव्यांगजनों की कुल 14 रिक्तियों में से 04=VH, 03=EH, 04=LD & 03=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	9	0	9	18	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	11	0	11	22	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	0	14	28	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	9	0	8	17	
	योग	56	0	55	111	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 15 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्विआंग
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	7	0	8	15	निरंक
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	7	0	8	15	

(6) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल

पोस्ट कोड - 06 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 32 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्विआंग
1.	अनारक्षित (UR)	5	0	4	9	दिव्यांगजनों की कुल 12 रिक्तियों में से 03=VH, 03=EH, 03=LD & 03=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	3	0	3	6	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	3	0	2	5	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	0	3	5	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	4	0	3	7	
	योग	17	0	15	32	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 29

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्विआंग
1.	अनारक्षित (UR)	5	0	4	9	दिव्यांगजनों की कुल 12 रिक्तियों में से 03=VH, 03=EH, 03=LD & 03=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	3	0	3	6	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	3	0	2	5	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	0	3	5	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	0	2	4	
	योग	15	0	14	29	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 03 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्विआंग
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	2	0	1	3	निरंक
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	2	0	1	3	

(7) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम

पोस्ट कोड - 07 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 40 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्विआंग
1.	अनारक्षित (UR)	6	0	6	12	दिव्यांगजनों की कुल 14 रिक्तियों में से 04=VH, 03=EH, 04=LD & 03=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	2	0	2	4	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	4	0	2	6	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	0	3	5	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	7	0	6	13	
	योग	21	0	19	40	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 34

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	6	0	6	12	दिव्यांगजनों की कुल 14 रिक्तियों में से 04=VH, 03=EH, 04=LD & 03=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	2	0	2	4	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	4	0	2	6	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	0	3	5	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	4	0	3	7	
	योग	21	0	19	34	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 06 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	3	0	3	6	निरंक
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	3	0	3	6	

(8) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर

पोस्ट कोड - 08 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 39 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

स.क्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी हेतु	योग	दिव्यांगजनों की कुल 20 रिक्तियों में से
1	अनारक्षित (UR)	3	0	3	6	05=VH, 05=EH, 05=LD & 05=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2	ई.डब्ल्यू.एस.	2	0	2	4	
3	अनुसूचित जाति (SC)	4	0	4	8	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	6	0	6	12	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	5	0	4	9	
	योग	20	0	19	39	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 35

स.क्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी हेतु	योग	दिव्यांगजनों की कुल 20 रिक्तियों में से
1	अनारक्षित (UR)	3	0	3	6	05=VH, 05=EH, 05=LD & 05=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2	ई.डब्ल्यू.एस.	2	0	2	4	
3	अनुसूचित जाति (SC)	4	0	4	8	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	6	0	6	12	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	3	0	2	5	
	योग	18	0	17	35	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 04 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी हेतु	योग
1	अनारक्षित (UR)	2	0	2	4
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	0	2	4

(9) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा

पोस्ट कोड - 09 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 135 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	15	0	14	29	दिव्यांगजनों की कुल 15 रिक्तियों में से 04=VH, 04=EH, 04=LD & 03=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	10	0	9	19	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	11	0	11	22	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	16	0	15	31	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	17	0	17	34	
	योग	69	0	66	135	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 119

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	15	0	14	29	दिव्यांगजनों की कुल 15 रिक्तियों में से 04=VH, 04=EH, 04=LD & 03=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	10	0	9	19	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	11	0	11	22	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	16	0	15	31	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	9	0	9	18	
	योग	61	0	58	119	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 16 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	8	0	8	16	निरंक
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	8	0	8	16	

(10) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा

पोस्ट कोड - 10 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 76 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	14	0	13	27	दिव्यांगजनों की कुल 32 रिक्तियों में से 08=VH, 08=EH, 08=LD & 08=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	10	0	10	20	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	2	0	2	4	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	13	0	12	25	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	
	योग	39	0	37	76	

(11) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया

पोस्ट कोड - 11 - सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 54 पद (अकार्यपालिक) (तृतीय श्रेणी)
(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	7	0	7	14	दिव्यांगजनों की कुल 10 रिक्तियों में से 02=VH, 03=EH, 03=LD & 02=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	3	0	3	6	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	4	0	3	7	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	5	0	5	10	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	9	0	8	17	
	योग	28	0	26	54	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 46

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	7	0	7	14	दिव्यांगजनों की कुल 10 रिक्तियों में से 02=VH, 03=EH, 03=LD & 02=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	3	0	3	6	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	4	0	3	7	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	5	0	5	10	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	5	0	4	9	
	योग	24	0	22	46	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 08 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	4	0	4	08	निरंक
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	4	0	4	08	

पद कोड 01 से 11 हेतु :-

- (1) नर्सिंग ऑफिसर पद का वेतनमान - 28700 (लेवल 7)
- (2) नर्सिंग ऑफिसर पद की शैक्षणिक अर्हता - नियम क्रं. 8.1(क) के अनुसार।

(12) - शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में रिक्त पद -

पोस्ट कोड -12 - सीधी भर्ती - सिस्टर ट्यूटर - कुल 218 पद (अकार्यपालिक)

श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	विकलांग
	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
अनारक्षित (UR)	15	8	4	2	19	10	58	दिव्यांगों की कुल 13 रिक्तियों में से 03 VH, 03 EH, 04 LD एवं 03 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पदप्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)	6	3	1	1	7	4	22	
अनुसूचित जाति (SC)	8	5	3	1	12	6	35	
अनुसूचित जनजाति (ST)	11	6	3	2	14	8	44	
अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)	16	8	4	2	19	10	59	
योग:-	56	30	15	8	71	38	218	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल पद 190

श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	विकलांग
	ओपन	महिला	ओपन	ओपन	महिला	ओपन		
अनारक्षित (UR)	15	8	4	2	19	10	58	दिव्यांगों की कुल 13 रिक्तियों में से 03 VH, 03 EH, 04 LD एवं 03 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पदप्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)	6	3	1	1	7	4	22	
अनुसूचित जाति (SC)	8	5	3	1	12	6	35	
अनुसूचित जनजाति (ST)	11	6	3	2	14	8	44	
अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)	8	5	2	1	10	5	31	
योग:-	48	27	13	7	62	33	190	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 28 पद (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	विकलांग
	ओपन	महिला	ओपन	ओपन	महिला	ओपन		
अन्यपिछड़ावर्ग (OBC) (प्रावधिक)	8	3	2	1	9	5	28	निरंक
अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	8	3	2	1	9	5	28	

पद कोड - 12 हेतु :-

- (1) सिस्टर ट्यूटर पद का वेतनमान - 36200 (लेवल 9)
- (2) सिस्टर ट्यूटर पद की शैक्षणिक अर्हता - नियम क्रं. 8.1(ख) के अनुसार।

अपर संचालक (अराजपत्रित)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश

अध्याय - 3

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 3.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढ़ाये/विलोपित किए जा सकेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं पदों के विकल्प/प्राथमिकताक्रम के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iv) समूह परीक्षा में विज्ञापित किए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प/प्राथमिकताक्रम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नहीं किया जायेगा, जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकताक्रम में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है।
- (v) ऐसी पद तालिका, जिनमें Category/X/Open में पद विज्ञापित नहीं है। परन्तु प्रवर्ग यथा भूतपूर्व सैनिक, संविदाकर्मी में पद विज्ञापित है, ऐसे विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में कन्वर्जन का नियम लागू करना संभव नहीं हो सकेगा।
- 3.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के विकल्प चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये पदों की योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (v) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा से संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (vii) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) बॉलप्वॉइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई-आधार मान्य नहीं है।

- 3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Digital Watch, Sun glasses and whitener, इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं मण्डल के आदेश क्रमांक पीईबी/प-1/712/2020, भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) दिव्यांग तथा सेरिब्रल पल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित द्विआंग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा के लिए अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित मण्डल कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी, ताकि मण्डल स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेण्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :- यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधि के उपरांत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जायेगा, साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किये जायेंगे। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

- (i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक घटाए जायेंगे।
- (ii) परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही "सबमिट" किया जा सकेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

- (A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-
 - (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
 - (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 - (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
 - (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 - (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 - (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा। सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहाँ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा)।
- (C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा, ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।
- (D) आपत्तियुक्त प्रश्नों के निराकरण हेतु मंडल द्वारा प्रदाय विकल्प को कुंजी समिति विषय विशेषज्ञों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

(आदेश क्र. मण्डल/5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3-8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम परसेंटाईल पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम परसेंटाईल पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्र. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

- (a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{\text{No. of candidates in shift (j) having proportionate scores} \leq X_{ij}}{N_j} \times 100$$

- shifts be denoted as $S_1, S_2, \dots, S_k$.
- number of candidates appearing in each shift be denoted by $N_1, N_2, \dots, N_k$
- X_{ij} be the actual/proportionate marks of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.
- P_{ij} be the percentile score of candidate X_{ij} , where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाई कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

- (b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

A.2 Step 1: Compute the percentile score P_{ij} of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

A.3 Step 2: Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij} = \text{ROUND}(\text{NORMSINV}(\frac{P_{ij}}{100} - 0.005), 6)$$

where,

- Z_{ij} = Z -value score of ith candidate & jth shift

A.4 Step 3: Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij} = AM + ASD \times (Z_{ij})$$

where, T_{ij} = T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

A.5 Step 4: Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score ((T_{ij})) with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) will be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मण्डल की वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि रुपये 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा। मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- बिन्दु क्रमांक 3.8 अ अनुसार मण्डल द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 अनुचित साधन ;Unfair means, UFM :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन ;Unfair means/यू.एफ.एम. ;UFM के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में :-

- परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफुसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
- प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
- नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना।
- ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य/क्रियाकलाप/प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।
- परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डाटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती है तो संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
- परीक्षा उपरांत परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफएम. श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है जिससे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदक एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मण्डल को अवगत कराया जायेगा।

मण्डल द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली प्रावीण्य सूची मण्डल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएँगी।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मंडल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में मण्डल परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख मण्डल द्वारा जारी आदेश क्र.मण्डल/2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित यथाआवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा :-

- (i) अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि ।
- (ii) आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के जाति/श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- (v) अतिथि शिक्षकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- (vi) प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र (यथा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र व अन्य)।
- (vii) आवेदन-पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित विवरण (टेक्स्ट) लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

"मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।"

3.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप/फॉर्मेट में स्कैन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर – हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे ।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा :-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार VID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में मण्डल द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.19 ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) केवल सीधी भर्ती-बैंकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **ESB** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाइनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाइनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर

jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

- (v) ऑनलाइन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंकों के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.23

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।
- (ix) ऐसे आवेदक, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन-पत्र भर लिया है, लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे निर्धारित संशोधन अवधि में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे।

3.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्र. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.27 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.28 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3.29 पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.30 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया :-

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्र. 796/982/2012/आ.प्र./एक दिनांक 26.06.2012, परिपत्र क्र. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 06/06/2018 एवं परिपत्र क्र. एफ-7-22/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 30/05/2019 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।
- (ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित/ विज्ञापित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

- (iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित/विज्ञापित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।
 - (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
 - (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के विज्ञापित पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
 - (vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (vii) आवेदन-पत्र की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात बैगा, सहारिया/सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे।
- 3.31** अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत मण्डल की E-mail ID "complaint.esb@mp.gov.in" पर भेज सकते हैं।
-

खण्ड-स

3.33 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
06/04/2026	20/04/2026	15	06/04/2026	25/04/2026	20

3.34 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	15 मई 2026 से प्रारंभ	02 घंटे	प्रातः 10:00 से 12:00 तक	100
2	द्वितीय			दोपहर 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से चयन/काला करना होगा।

3.35 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.36 परीक्षा शहर :-

आवेदको को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। मण्डल द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/ केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त संबंध में मण्डल का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित संभावित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

आनलाईन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर					
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. खण्डवा	5. नीमच	6. रतलाम
7. रीवा	8. सागर	9. सतना	10. सीधी	11. उज्जैन	

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.37

- (1) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (2) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (3) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (4) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (5) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (6) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (7) नियमपुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
- (8) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (9) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिंटआउट यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा।
- (10) मंडल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में रिक्त विभिन्न प्रकार के पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षाओं का आयोजन समूह परीक्षा के रूप में किया जाता है। इन परीक्षाओं में पदवार निर्धारित शैक्षणिक व अन्य अर्हताओं के आधार पर आवेदकों द्वारा विभिन्न के पदों के प्राथमिकताक्रम दिए जाते हैं। इन परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर आवेदक द्वारा दी गई प्राथमिकताक्रम में जो पद आवंटित होता है, उसके पहले की प्राथमिकताक्रम वाले पदों की प्रतीक्षा सूची में उसे स्थान प्राप्त होगा। परन्तु जिस प्राथमिकताक्रम का पद आवंटित हो जाता है, उसके बाद की शेष प्राथमिकताक्रम के पदों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची में उसे स्थान प्राप्त नहीं होगा।

उदाहरणार्थ किसी आवेदक द्वारा निम्नानुसार पदों के प्राथमिकताक्रम ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दिया जाता है, तब :-

□□□□□□□□□□□□□□	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
□□ □□□	151	004	008	116	143	115	128	098	018	106	144	114	096	027	021	002	023	166

परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर उपरोक्त पद प्राथमिकताक्रम में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकताक्रम के पदों की प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त होता है तथा उसे चौथी प्राथमिकताक्रम के पद कोड 116 की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में चूंकि आवेदक को चौथी प्राथमिकताक्रम के पद की प्रावीण्य सूची में ही स्थान प्राप्त हुआ है। अतः इसके बाद के शेष प्राथमिकताक्रम वाले पदों की प्रावीण्य/ प्रतीक्षा सूची में उसे स्थान प्राप्त नहीं होगा।

- (11) आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा की नियमपुस्तिका का भली-भांति अवलोकन/अध्ययन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आप संबंधित परीक्षा की नियमपुस्तिका में उल्लेखित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं, तत्पश्चात ही आवेदन पत्र भरें।
- (12) यह आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वह अपना आवेदन पूरी तरह सावधानी के साथ भरें। आवेदन-पत्र में अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर नियमपुस्तिका में उल्लेखित प्रावधान/प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार निर्धारित समयावधि में संभव होगा। त्रुटि/प्रविष्टि में परिवर्तन/सुधार मंडल स्तर पर संभव नहीं है। इस संबंध में मंडल कार्यालय में प्राप्त आवेदन अमान्य किये जाते हैं तथा इन्हें नस्तीबद्ध करते हुए प्रतिउत्तर नहीं दिया जाता है।
- (14) कतिपय अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) में त्रुटि परिलक्षित होने पर परिवर्तन/संशोधन हेतु आवेदन करते हैं, जबकि यह त्रुटि उनके द्वारा आवेदन पत्र भरने में की गई त्रुटि एवं समय-सीमा में सुधार न करने का परिणाम होती है, अतः इस संबंध में कोई भी आवेदन/पत्राचार तत्समय मंडल द्वारा मान्य किया जाना संभव नहीं होता है।

- (15) समूह परीक्षाओं में कतिपय स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं, जिसमें अलग-अलग पदों/प्रश्न पत्र होने पर पृथक-पृथक प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) जारी किए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न-पत्र हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) लेकर जाना आवश्यक होगा।
- (16) किसी भी तकनीकी त्रुटि होने के कारण परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब होने की स्थिति में भी सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र हल करने हेतु निर्धारित समयावधि उपलब्ध कराई जाती है, अतः ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को बिना किसी चिंता के परीक्षा संचालन में पूर्ण सहयोग करना चाहिए।
- (17) मंडल का कार्यक्षेत्र केवल विभाग की मांग पर परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने तक सीमित है। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही का संपूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का है।
- (18) उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि मंडल द्वारा विभागों के मांग-पत्रों के आधार पर प्रवेश, पात्रता, चयन एवं भर्ती परीक्षाएँ पूर्ण पारदर्शी एवं उत्कृष्ट तकनीकी मापदंडों के अनुरूप आयोजित की जाती हैं, जिनकी यथासंभव सुरक्षा एवं शुचिता सुनिश्चित की जाती है। अतः इस संबंध में अगर किसी के द्वारा अवांछित लाभ उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, तो अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह इसकी सूचना समस्त जानकारीयों सहित तत्काल मंडल कार्यालय को प्रदान करें। परीक्षा से संबंधित अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित होने/सहयोग प्रदान करने/तथ्य छुपाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।
-

अध्याय - 04
पाठ्यक्रम - सभी पदों हेतु

(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरूचि 25 अंक

(ब) संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न

75 अंक

B.Sc. Curriculum				
S.No.	Year	Semester	Courses	Content
1	1	I	Communicative English	Communication. Introduction to LSRGW(Listening, Speaking, Reading, Grammer, Writing simple) Attentive Listening. Speaking-Effective . Conversation. Reading. Writing Skills. LSRW Skills.
2		I	Applied Anatomy & Applied Physiology	Applied Anatomy Introduction to anatomical terms and organization of the human body. The Respiratory system. The Digestive system. The Circulatory and lymphatic system. The Endocrine system. The Sensory organs. The Musculoskeletal system. The Muscular System. The skeletal system. The Renal System. The Reproductive System. The Nervous system. Applied Physiology General Physiology-Basic concept. Respiratory system. Digestive system. Circulatory and lymphatic system. Blood. The endocrine system. The sensory Organs. Musculo-skeletal system. Renal system. The Reproductive System. Nervous system

B.Sc. Curriculum				
S.No.	Year	Semester	Courses	Content
3		II	Applied Sociology & Applied Psychology	Applied Sociology Introduction . Social structure. Culture. Family and Marriage. Social stratification.social organization and disorganization. Clinical sociology. Applied Psychology Introduction Biological basis of behaviour Mental health and mental hygiene Developmental psychology Personality Cognitive process Motivation and emotional processes Psychological assessment and tests Application of soft skill Self-empowerment
4		II	Applied Biochemistry and Applied Nutrition & Dietetics	Applied Biochemistry Carbohydrates Lipids Proteins Clinical Enzymology Acid base maintenance Heme catabolism Organ function tests Immunochemistry Applied Nutrition &Dieteries Introduction to Nutrition Carbohydrates Energy Proteins Fats Vitamins Minerals Balanced diet Nutritional deficiency disorders Therapeutic diets Cookery rules and preservation of nutrients Nutrition assessment and nutrition education National Nutritional Programmes and role of nurse

B.Sc. Curriculum				
S.No.	Year	Semester	Courses	Content
5		III	Nursing Foundation I & II	Nursing Foundation 1: Introduction to Health and Illness Health Care Delivery Systems History and Scope of Nursing Communication and Nurse-Patient Relationship Documentation and Reporting Vital Signs Health Assessment Equipment and Linen Management Infection Control and Waste Management Comfort, Rest & Sleep, and Pain Management Safety in Health Care Environment Admission, Transfer, and Discharge of Patients Mobility and Immobility Patient Education Nursing Foundation 2: Nursing Concepts and Skills Nursing Procedures Basic Nursing Care Health Promotion and Disease Prevention Emergency Care Medical-Surgical Nursing Pharmacology Mental Health Nursing
6		III	Health/Nursing Informatics & Technology	Introduction to Computer Applications for Patient Care Delivery System and Nursing Practice Principles of Health Informatics Information Systems in Healthcare Shared Care & Electronic Health Records Patient Safety & Clinical Risk Clinical Knowledge & Decision Making eHealth: Patients and the Internet Using Information in Healthcare Management Information Law & Governance in Clinical Practice Healthcare Quality & Evidence-Based Practice

B.Sc. Curriculum				
S.No.	Year	Semester	Courses	Content
7	2	III	Applied Microbiology and Infection Control including Safety	Introduction General Characteristics of Microbes Pathogenic Organisms Immunity Hospital Acquired Infections (HAI) Isolation Precautions and Use of Personal Protective Equipment (PPE) Hand Hygiene Disinfection and Sterilization Specimen Collection (Review) Biomedical Waste Management & Laundry Management Antibiotic Stewardship Patient Safety Indicators Incidents and Adverse Events International Patient Safety Goals (IPSG) Safety Protocols Employee Safety Indicators Healthcare Worker Immunization Program and Management of Occupational Exposure
8		VI	Adult Health Nursing I with Integrated Pathophysiology including BCLS module	Introduction Intraoperative Care Nursing Management of Patients with Respiratory Problems Nursing Management of Patients with Gastrointestinal Disorders Nursing Management of Patients with Cardiovascular Problems Nursing Management of Patients with Hematological Disorders Nursing Management of Patients with Endocrine Disorders Nursing Management of Patients with Integumentary Disorders Nursing Management of Patients with Musculoskeletal Disorders Nursing Management of Patients with Communicable Diseases

B.Sc. Curriculum				
S.No.	Year	Semester	Courses	Content
9		VI	Pharmacology (I&II) & Pathology (I&II) (including Genetics)	Pharmacology I Introduction to Pharmacology Pharmacology of Antiseptics and Disinfectants Pharmacology of Gastrointestinal Drugs Pharmacology of Respiratory Drugs Pharmacology of Cardiovascular Drugs Pharmacology of Endocrine Drugs Pharmacology of Dermatological Drugs Pharmacology of Antimicrobials and Chemotherapy Pharmacology II Drugs for Ear, Nose, Throat, and Eye Disorders Drugs Acting on the Urinary System Drugs Acting on the Nervous System Drugs for Hormonal Disorders, Contraception, and Medical Termination of Pregnancy Drugs for Pregnant Women Drugs for Deaddiction, Emergency, Poisoning, Vitamins, and Minerals
		V	Adult Health Nursing II with Integrated Pathophysiology including Geriatric Nursing & Palliative Care	Nursing Management of Ear, Nose, and Throat Disorders Nursing Management of Eye Disorders Nursing Management of Kidney and Urinary System Disorders Nursing Management of Male Reproductive Disorders Nursing Management of Burns and Cosmetic Surgeries Nursing Management of Neurological Disorders Nursing Management of Immunological Disorders Nursing Management of Oncological Conditions Nursing Management of Emergency and Disaster Situations Nursing Care of the Elderly Nursing Management of Critical Care Units Nursing Management of Occupational and Industrial Health Disorders
		V	Professionalism, Professional Values and Ethics including Bioethics Ex. Human Values	
10				
11				

B.Sc. Curriculum				
S.No.	Year	Semester	Courses	Content
12	3	IV	Community Health Nursing I including Environmental Science & Epidemiology	Community Health Nursing Approaches, Concepts, Roles, and Responsibilities Assisting Individuals and Families to Promote and Maintain Their Health Introduction to Epidemiology Communicable Diseases and National Health Programs Non-Communicable Diseases and National Health Programs Management of Common Conditions and Emergencies Including First Aid Reproductive, Maternal, Newborn, Child, and Adolescent Health School Health Services Demography, Surveillance, and Interpretation of Data Population and Its Control Environmental Science Environmental Science, Environmental Health, and Sanitation. Environmental Health & Sanitation. Nutrition Assessment and Nutrition Education. Communication Management and Health Education.
13		IV	Educational Technology/ Nursing Education	Introduction and Theoretical Foundations Assessment and Planning Implementation Teaching in the Clinical Setting Educational/Teaching Media Assessment/Evaluation Methods/Strategies Guidance/Academic Advising, Counseling, and Discipline Ethics and Evidence-Based Teaching (EBT) in Nursing Education Emerging Trends in Healthcare and Nursing Education
14		IV	Introduction to Forensic Nursing	

B.Sc. Curriculum				
S.No.	Year	Semester	Courses	Content
15		IV	Child Health Nursing (I&II)	Child Health Nursing I Introduction to Modern Concepts of Child-Care The Healthy Child Nursing Care of Neonate Integrated Management of Neonatal and Childhood Illnesses (IMNCI) Nursing Management in Common Childhood Diseases Child Health Emergencies and CPR Child Health Nursing II Orthopedic Disorders, Eye, Ear, and Skin Disorders Communicable Diseases in Children Management of Behavioral and Social Problems in Children Management of Challenged Children Counseling and Education for Parents Pediatric Medical Ward Pediatric Surgical Ward Neonatal Intensive Care Unit (NICU) & Pediatric Intensive Care Unit (PICU)
		IIV	Mental Health Nursing (I&II)	Mental Health I Introduction to Mental Health Nursing Principles and Concepts of Mental Health Nursing Mental Health Assessment Therapeutic Communication and Nurse-Patient Relationship Treatment Modalities and Therapies Used in Mental Disorders Nursing Management of Patients with Schizophrenia and Other Psychotic Disorders Nursing Management of Patients with Mood Disorders Nursing Management of Patients with Neurotic, Stress-Related, and Somatisation Disorders Nursing Management of Patients with Substance Use Disorders Nursing Management of Patients with Personality, Sexual, and Eating Disorders Nursing Management of Behavioural & Emotional Disorders in Childhood and Adolescence Mental Health II Nursing Management of Organic Brain Disorders Psychiatric Emergencies and Crisis Intervention Legal Issues in Mental Health Nursing Community Mental Health Nursing
16				

B.Sc. Curriculum				
S.No.	Year	Semester	Courses	Content
17		IIV	Nursing Management & Leadership	Health Care and Development of Nursing Services in India Management Basics Applied to Nursing Planning Nursing Services Organizing Staffing (Human Resource Management) Directing and Leading Leadership Controlling Organizational Behavior and Human Relations Financial Management Nursing Informatics/Information Management Personal Management Establishment of Nursing Educational Institutions Planning and Organizing Functions of a Nursing College Staffing and Student Selection Leadership and Management Activities in an Educational Organization Legal and Ethical Issues Professional Advancement
18			Ex. Menopausal Health	
19	4	IIV	Community Health Nursing II	Occupational Health Geriatric Health Care Mental Health Disorders Health Management Information System (HMIS) Delivery of Community Health Services Leadership, Supervision, and Monitoring Disaster Management Bio-Medical Waste Management Health Agencies
20		IIIV	Nursing Research & Statistics	Introduction and need for nursing research Definition of Research & nursing research Steps of scientific method Characteristics of good research State the purposes and steps of Evidence Based Practice Steps of Research process-overview Evidence Based Practice: Concept, Meaning, Purposes, Steps of EBP Process and Barriers

B.Sc. Curriculum				
S.No.	Year	Semester	Courses	Content
21		IIIV	Midwifery/Obstetrics and Gynaecology (OBG) Nursing I & II	Midwifery/Obstetrics and Gynaecology (OBG) Nursing I History of midwifery in India Current scenario: Midwifery in India - Transformative education for relationship-based and transformative midwifery practice in India, National health programs related to RMNCH Current trends in midwifery and gynecology nursing: Respectful maternity and newborn care (RMNC) Midwife led care units (MLCU) Birthing centers, water birth, lotus birth Essential competencies for basic midwifery practice (ICM) Universal rights of child-bearing women Sexual and reproductive health and rights Legal provisions in midwifery practice in India: INC/MOH&FW regulations Ethical issues in maternal and neonatal care Adoption laws, MTP act, Pre-Natal Diagnostic Test (PNDT) Act, Surrogate mothers Roles and responsibilities of a midwife in different settings (hospital/community) Midwifery/Obstetrics and Gynaecology (OBG) Nursing II Recognition and Management of Problems During Pregnancy Recognition of Deviations from the Normal and Management During Labour Recognition and Management of Postnatal Problems Assessment and Management of High-Risk Newborns Assessment and Management of Gynecological Disorders Family Planning and Family Welfare Programs
22		IIIV	Competency Assessment • Community Health Nursing • Adult Health Nursing • Child Health Nursing • Mental Health Nursing • Midwifery/OBG Nursing	
23		IIIV	Ex. Scientific Writing Skills	

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/द्वियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र

का प्रारूप

परीक्षा का नाम :- संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा - 2026

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. लिंग (पुरुष/महिला) :-
5. जन्मतिथि :-
6. आदिम जनजाति का नाम :-
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :-
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-
9. कार्यअनुभव का विवरण :-
10. विशेष/अन्य विवरण :-
11. रोजगार कार्यालय काजीवित पंजीयन नम्बर :-
12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:-
13. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :-

आवेदक का
नवीनतम
पासपोर्ट आकार
का फोटोग्राफ
संलग्न करे

स.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....

दिनांक :-

निवास का पता :-

मोबाईल/दूरभाष नं. :-